संख्या-242/2023/754रासनि/23-1-23/006-15आरएसएन/2022टीसी-1

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 09 मार्च, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से वाराणसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के 28 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-3276/CE-HQ-1/RSN 5054/VNS/2022-23, दिनांक 24.02.2023, पत्र सं0-3334/CE-HQ-1/RSN 5054/VNS/2022-23, दिनांक 01.03.2023 एवं पत्र सं0-3363/CE-HQ-1/RSN 5054/VNS/2022-23, दिनांक 03.03.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार वाराणसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के 28 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 11,59,89,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ उनसठ लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि.ख.-3 गाजीपुर	विकास खण्ड वाराचवर में मुबारकपुरकामुपर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण।	80 /2020/689 रासनि /23-1-20-58 रासनि/20-दिनांक-27-03-2020	85.49	76.86	0.08	8.55	8.55
2	नि.ख.-3 गाजीपुर	मऊ युसुफपुर माग के किमी 31 से कादीपुर हरिजन बस्ती तक तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	96/2021/198 रासनि/23-1-21-91 रासनि/20-दिनांक-17-03-2021	136.74	129.71	0.05	6.98	6.98
3	नि.ख.-3 गाजीपुर	आमघाट से शेरपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	100/2021/483 रासनि/23-1-21-60 रासनि/20-दिनांक-22-03-2021	267.71	180.66	0.04	87.01	86.93
4	नि.ख.-3 गाजीपुर	ग्राम रेवसड़ा से ग्राम जोगा	100/2021/483 रासनि/23-1-21-60 रासनि/20-दिनांक-22-03-2021	323.48	306.43	0.13	16.92	16.92
5	नि.ख.-3 गाजीपुर	श्रीपुर से ग्राम सकडेहरी सम्पर्क मार्ग	100/2021/483 रासनि/23-1-21-60 रासनि/20-दिनांक-22-03-2021	191.03	157.88	0.10	33.05	33.05
6	नि.ख.-3 गाजीपुर	ग्राम सुखडेहरा से ग्राम अमरूपुर सम्पर्क मार्ग	100/2021/483 रासनि/23-1-21-60 रासनि/20-दिनांक-22-03-2021	193.02	182.43	0.14	10.45	10.45
7	नि.ख.-3 गाजीपुर	रामगढ़ नहर के पुल से नई बस्ती होते हुये भौसही नदी के छलका पुन तक सम्पर्क मार्ग	108/2021/560 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	103.78	98.59	0.16	5.03	5.03
8	नि.ख.-3 गाजीपुर	सलामतपुर सिधारघाट मार्ग के किमी0-3 से रामगढ़ डोमडेरा	108/2021/560 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	89.78	85.29	0.04	4.45	4.45

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(बांसफोर) बस्ती होते हुए ब्रम्हस्थान तक सम्पर्क मार्ग						
9	नि.ख.-3 गाजीपुर	जहुराबादवाराचवर मार्ग पर जमीरा से सेमऊर पोखरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	120.67	114.35	0.07	6.25	6.25
10	नि.ख.-3 गाजीपुर	सलामतपुर सिधागरघाट मार्ग पर कठपुरवा रामगढ मठिया से पाल बस्ती होते हुये हरिजन कल्याण विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	69.06	65.22	0.05	3.79	3.79
11	नि.ख.-3 गाजीपुर	धर्मपुरासे मखदुमपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	81.80	75.95	0.05	5.80	5.80
12	नि.ख.-3 गाजीपुर	सरयां ब्राम्हणपुरा अनऊर मार्ग से सरयां चौहान बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	134.82	127.75	0.06	7.01	7.01
13	नि.ख.-3 गाजीपुर	ग्राम बेदौली माफी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3-दिनांक-16-07-2021	25.73	24.39	0.05	1.29	1.29
14	नि.ख.-3 गाजीपुर	ग्राम जकरौली में चकसिकन्दर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3-दिनांक-16-07-2021	49.54	46.99	0.07	2.48	2.48
15	नि.ख.-3 गाजीपुर	ग्राम मोहनपुरा में भटवलिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3-दिनांक-16-07-2021	28.31	26.81	0.08	1.42	1.42
16	नि.ख.-3 गाजीपुर	ग्राम नसीरपुर मिर्जाबाद सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3-दिनांक-16-07-2021	50.06	47.43	0.12	2.51	2.51
17	नि.ख.-3 गाजीपुर	रामकरन यादव के स्कूल से सुदर्शन राम के मकान तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	352/2021/740 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0,-दिनांक-17-12-2021	66.25	62.26	0.65	3.34	3.34
18	नि.ख.-3 गाजीपुर	वोडाफोन एयरटेल टॉवर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे (बिजौरा) तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	352/2021/740 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0,-दिनांक-17-12-2021	55.94	51.19	0.40	4.35	4.35
19	प्रा.ख. गाजीपुर	हंसराजपुर से नसीरपुर चौहान बस्ती चिरार एवं चौरा राजभर बस्ती होते हुए पहितियां नहर पटरी संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0-दिनांक-30-11-2021	258.52	38.78	12.90	206.84	60.00
20	प्रा.ख. जौनपुर	ग्राम निरंजनपुर खास बस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	38.23	11.47	0.50	26.26	24.34
21	नि.ख.-1 गाजीपुर	पहाड़पुर नहर से कुसमीखुर्द से ध्नेश्वर इण्टर कालेज तक सम्पर्क मार्ग	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20-दिनांक-01-03-2021	105.29	84.24	0.49	20.56	20.56
22	प्रा.ख. चंदौली	जी0टी0 रोड से बिछिया मार्ग के चौड़ीकरण का	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी-दिनांक-	169.18	36.92	0.45	131.81	123.35

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		कार्य	07-01-2022					
23	प्रा.ख. चंदौली	धीना पिपरी मार्ग से सिरकलपुर होते हुए गोपालपुर शहीद स्मारक होते हुए साइफन तक मार्ग का निर्माण कार्य।	430 /2022/1015 रासनि/23-1-22/001-48 आरएसएन/ 2022 दिनांक-24-11-2022	144.08	36.02	4.22	103.84	67.82
24	नि.ख.-1 वाराणसी	देवराई से ग्राम रतनपुर के मध्य नाद नदी पर रपटा पुल(सबमज्ड काजवे) के साथ अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	96/2021/198 रासनि/23-1-21-91 रासनि/20-दिनांक-17-03-2021	109.45	81.41	22.54	5.50	5.50
25	प्रा.ख. वाराणसी	पहाि डरबलुआ मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	36/2021/48 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20-दिनांक-03-02-2021	2485.77	1293.95	143.61	1048.21	621.25
26	प्रा.ख. चंदौली	बलुआ से डेरवाखुर्द हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग।	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-19-03-2021	15.13	6.80	0.01	8.32	8.32
27	प्रा.ख. चंदौली	जनपद चन्दौली के अन्तर्गत मुगलसराय भूपौली मार्ग से सी0एच0सी0 भूपौली चकिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	22/2022/1816 रासनि/23-1-21-08 रासनि/21-दिनांक-05-01-2022	22.88	21.10	0.63	1.15	1.15
28	नि.ख.-1 वाराणसी	पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। (अ0जि0मा0)	118 रासनि /23-1-18-46 रासनि /18 दिनांक 28.03.2018-दिनांक-28-03-2018	9703.88	9218.69	468.19	17.00	17.00
							कुल योग-	1159.89

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पदित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 11,59,89,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ उनसठ लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054043375800 राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह

उप सचिव।

संख्या-242/2023/754रासनि/23-1-23/006-15आरएसएन/2022टीसी-1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in